केन्द्रीय विद्यालय, संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
संभागीय कार्यालय, सिलचर
नियर लॉयन्स आई ,हॉस्पीटल .
कैप्टन एन788001-सिलचर ,गुप्ता सरणी .एम.
(03842) 234009 (DC)/ 246886(ACs) /245737 (AO) /261784 (FO)

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Min. of Education, Govt of India
REGIONAL OFFICE, SILCHAR
Near Lion's Eye Hospital, Captain N.M. Gupta Sarani, Silchar-788001
E-mail: dckvsrosilchar@gmail.com
Web. www.rosilchar.kvs.gov.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्र सं.29331(3)/2023-24/के.वि.सं.(क्षे.का.) सिलचर/शैक्षिक दिनांक-23.07.2024

सेवा में, **सिर्फ ई-मेल द्वारा**
प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
सिलचर संभाग

विषयः छात्रों हेतु One Time वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2024-25 के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि छात्र/छात्राओं के स्थानीय स्थानांतरण हेतु प्रोफार्मा संलग्न है। छात्र/छात्राओं के **वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2024-25** हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

01. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण आवेदन करने हेतु **अंतिम तिथिः 08.08.2024** है।

02. अभिभावक वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का आवेदन प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण भरकर **तीन प्रतियों में, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जमा कर दें।**

03. प्राचार्य (जहाँ बच्चा पढ़ रहा है।) वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में अपनी टिप्पणी सहित संबंधित प्राचार्य को (यानी जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थाननीय स्थानांतरण चाहता है।) दिनांक-13.08.2024 तक भेज देंगे।

04. तत्पश्चात् जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थानीय स्थानांतरण चाहता है। वहाँ के प्राचार्य वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में **दिनांक-17.08.2024** तक के छात्रों के संख्या के आधार पर अपनी टिप्पणी सहित **दिनांक-20.08.2024** तक डाक द्वारा संभागीय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

NOTE:- प्राचार्य (जहाँ बच्चे का स्थानांतरण होना है।) कृपया के.वि.सं. के प्रवेश नियमावली के PART-A के Para-7 के Sub Para-(iii) के आधार पर ही स्थानीय स्थानांतरण के आवेदन को संभागीय कार्यालय में भेजें।

05. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण-2024-25 के आवेदनों का निपटारा संभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा संभागीय स्तर पर किया जाएगा।

समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2024-25 की सूचना (प्रपत्र सहित) विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड अवश्य करें।

नोटः- वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का यह प्रक्रिया One Time (Yearly) प्रक्रिया है। इसके पूरा होने के पश्चात् विद्यालय द्वारा स्थानीय स्थानांतरण से संबंधित कोई भी पत्र इस कार्यालय में प्रेषित न करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

संलग्नकः प्रपत्र

(पी.आई.टी. राजा)
उपायुक्त